ऑन लाईन नं. GCMS 2021/159

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुमाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 18/2021

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री कमल कुमार अरोड़ा पुत्र श्री कृष्ण लाल अरोड़ा, निवासी वीपीओ 14 एफएफ तहसील करणपुर, जिला श्रीगंगानगर। मैसर्स मालिक माहिया ट्रेडर्स, 45 जी ब्लॉक, प्रथम तल, शिवमंदिर के पास, जिला श्रीगंगानगर।
2. मालिक मैसर्स कृष्णा डेयरी मिल्क एण्ड फूड, वार्ड नंबर 9, बहादुरगढ़, रोड, खरखोदा, जिला सोनीपत, राज्य हरियाणा।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक: 27.01.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.10.2020 को समय 11.00 एएन पर दौराने निरीक्षणार्थ, श्रीकमल कुमार अरोड़ा पुत्र श्री कृष्णलाल अरोड़ा, निवासी वीपीओ 14 एफएफ, तह. करणपुर मैसर्स मालिक माहिया ट्रेडर्स, 45 जी ब्लॉक, प्रथम तल, शिवमंदिर के पास, जिला श्रीगंगानगर व उक्त माल खरीद बिल मैसर्स कृष्णा डेयरी मिल्क एण्ड फूड, वार्ड नंबर 9, बहादुरगढ़, रोड, खरखोदा, जिला सोनीपत, राज्य हरियाणा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्रीकमल कुमार अरोड़ा पुत्र श्री कृष्णलाल अरोड़ा, निवासी वीपीओ 14 एफएफ, तह. करणपुर मैसर्स मालिक माहिया ट्रेडर्स, 45 जी ब्लॉक, प्रथम तल, शिवमंदिर के पास, जिला श्रीगंगानगर कारोबार कर रहा था। जिसको विक्रेता व मालिक होना बताया, को अपना परिचय देकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर नहीं होना बताया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान में **घी कृष्णा डेयरी ब्राण्ड** 500–500 मि.लि. के कुल 108 नग खाद्यपदार्थ के रूप में विक्रय कर रहा था। शुद्धता की जांच हेतु विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहान व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5ए की एक प्रतिं मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली। तत्पश्चात् **घी कृष्णा डेयरी ब्राण्ड**

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

500–500 मि.लि. के 4 डिब्बे लिये, जिसके पेटे 604 रूपये नकद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। विकेता ने मौके पर खरीद विल की प्रमाणित प्रति दी।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी कृष्णा डेयरी ब्राण्ड** 500–500 मि.लि. के 4 डिब्बे नमूने लिये प्रत्येक को लेबल तैयार कर प्रत्येक नमुना पर चिपकाए एवं लेवलो पर डीओ कॉड एवं सिरीयल नम्बर **के–1059** दर्ज किया। प्रत्येक लेवल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप **के–1059** नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप से उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण के 1059 घी कृष्णा डेयरी ब्राण्ड लिखकर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनो भागो को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढ़ाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं आवेदक ने भी मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को स्वयं के द्वारा दिनांक 28.10.2020 को जगदीश कुमार के द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खादय विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर को आवेदक द्वारा दिनांक 27.10.2020 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–L.S./122/Act/2020/123 Dated 30-10-2020 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1059 SubStandard Food** होना पाया गया। खाद्यकारोबारकर्ता को जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया, परंतु खाद्यकारोवारकर्ता ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री कमल कुमार अरोड़ा पुत्र श्री कृष्ण लाल अरोड़ा, निवासी वीपीओ 14 एफएफ तहसील करणपुर, जिला श्रीगंगानगर, मैसर्स मालिक माहिया ट्रेडर्स, 45 जी ब्लॉक, प्रथम तल, शिवमंदिर के पास, जिला श्रीगंगानगर और मालिक मैसर्स कृष्णा डेयरी मिल्क एण्ड फूड, वार्ड नंबर 9, बहादुरगढ़, रोड, खरखोदा, जिला सोनीपत, राज्य हरियाणा** द्वारा अमानक स्तर का विक्रय किये जाने को खाद्य

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 17.09.2021 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी कमल कुमार पुत्र श्री किशन लाल की वीपीओ 14 एफएफ, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर में माहिया ट्रेडर्स के नाम से गरोसरी की दुकान है। दिनांक 27.10.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रार्थी की दुकान पर आये और शक के आधार पर **घी (कृष्ण डेयरी ब्रांड)** के सैम्पल लेकर चले गये और जाते जाते कहा कि हमें शक है कि इसमें "सव स्टेण्डर्ड फूड" है जबकि प्रार्थीया ने कभी भी किसी प्रकार का मिलावट का घी कभी ना तो खरीदा है और ना ही बेचान किया है। कुछ समय पश्चात प्रार्थी के पास श्रीमान् न्यायालय से नोटिस आया जिससे पता चला कि प्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थी को उनके द्वारा भरे गये सैम्पल की वह दोबारा जांच करवा सकता है, इस अधिकार से अवगत नहीं करवाया ना ही कोई लिखित में प्रार्थी को सूचना दी जिस कारण खाद्य सुरक्षा अधिनियम की कार्यवाही दोषपूर्ण है। अभी प्रार्थी व अप्रार्थी की तरफ से उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह कि प्रार्थी ने अपनी दुकान पर कोई खाद्य पदार्थ (घी) ना तो कभी रखा है ना ही कभी बेचान किया है जो अवमानक हो और जिसका उपयोग करने पर मानव जीवन संकटमय हो जाता हो। प्रार्थी को जैसा पैकिंग किया हुआ घी मालिक से प्राप्त होता है। उसी अवस्था में वह उसको आगे बेचान करता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जानबूझकर प्रार्थी के विरूद्ध गलत कार्यवाही की गई है। इसलिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वयं खारिज करवाया जावे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **घी कृष्णा डेयरी ब्राण्ड** का सैम्पल **K-1059** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक– L.S./122/Act/2020/123 Dated 30-10-2020 **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जानबूझकर प्रार्थी के विरूद्ध गलत कार्यवाही की गई है। इसलिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वयं खारिज करवाया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम के तहत सही प्रकिया अपनाते हुए नियमानुसार नमूने का

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

संलग्न किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Ghee(श्री कृष्णा डेयरी)"** bearing Code No and Sr. No. **K-1059**, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Substandard food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulation, 2011.**की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्तगण श्री कमल कुमार अरोड़ा पुत्र श्री कृष्ण लाल अरोड़ा, निवासी वीपीओ 14 एफएफ तहसील करणपुर, जिला श्रीगंगानगर, मैसर्स मालिक माहिया ट्रेडर्स, 45 जी ब्लॉक, प्रथम तल, शिवमंदिर के पास, जिला श्रीगंगानगर और मालिक मैसर्स कृष्णा डेयरी मिल्क एन्ड फूड, वार्ड नंबर 9, बहादुरगढ़, रोड, खरखोदा, जिला सोनीपत, राज्य हरियाणा को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्तगण श्री कमल कुमार अरोड़ा पुत्र श्री कृष्ण लाल अरोड़ा, निवासी वीपीओ 14 एफएफ तहसील करणपुर, जिला श्रीगंगानगर, मैसर्स मालिक माहिया ट्रेडर्स, 45 जी ब्लॉक, प्रथम तल, शिवमंदिर के पास, जिला श्रीगंगानगर और मालिक मैसर्स कृष्णा डेयरी मिल्क एन्ड फूड, वार्ड नंबर 9, बहादुरगढ़, रोड, खरखोदा, जिला सोनीपत, राज्य हरियाणा को **राशि रूपये 20,000–00 (अक्षरे रूपये बीस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर